दृष्टि The Vision

Quick Book

आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं पर केंद्रित पुस्तक

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30–30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट–ऑफ–द–आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

आंतरिक सुरक्षा

एवं

आपदा प्रबंधन

(प्रथम संस्करण)

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 011-47532596, 87501 87501

Website : www.drishtiias.com

E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन

लेखक : टीम दृष्टि

प्रथम संस्करण : जनवरी 2021

मूल्य : ₹ 200

ISBN : 978-81-947225-1-9

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.

(दृष्टि पब्लिकेशन्स)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

सिविल सेवा परीक्षा जैसी कठिन चुनौती को साधने के लिये आवश्यक है कि हम इसके हरेक पहलू पर काम करें। तैयारी का संतुलित और समग्र दृष्टिकोण ही सफलता दिला सकता है। दरअसल, अक्सर ही हम प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के उन खंडों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, जो ऊपरी तौर पर हमें बहुत ज़रूरी नहीं लगते। इनको लेकर हमारा यह भाव होता है कि थोड़े से प्रयास से इन्हें तैयार किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण अक्सर हमें निर्णायक नुकसान पहुँचा देता है क्योंकि जिन्हें हम बहुत ध्यान देने लायक नहीं समझते वही सफलता-असफलता के बीच आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में तो यह चुनौती और सघन हो जाती है क्योंकि वहाँ किसी एक प्रश्नपत्र में खराब प्रदर्शन पूरे परिणाम को प्रभावित कर देता है।

इसी क्रम में देखें तो 'आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन' जैसे खंडों को लेकर हमारा यही भाव होता है, जबकि यह सामान्य अध्ययन का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। हरेक वर्ष इन खंडों से ठीक-ठाक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। इसलिये आवश्यक ही है कि इन्हें ठीक से तैयार कर लिया जाए ताकि सफलता को लेकर कोई संशय न रहे। इसी उद्देश्य से हम प्रस्तुत पुस्तक 'आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन' का प्रकाशन कर रहे हैं। इस पुस्तक में आपको एक जगह इन दोनों ही खंडों से जुड़ी हरेक परीक्षोपयोगी जानकारी व्यवस्थित रूप से संकलित मिलेगी। इसे तैयार करते हुए हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि यह संघ लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिये भी समान रूप से उपयोगी हो। इसके लिये हमने संबंधित सभी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और फिर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ किया। अब हम आपसे इस पुस्तक की विशेषताओं की चर्चा करते हैं ताकि आपको इसकी उपयोगिता का अनुमान लग सके।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाली टीम द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया है। चूँकि इसमें आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन दो खंड शामिल हैं इसलिये दोनों से संबंधित पाठ्य सामग्री विषयसूची में संदर्भित कर दी गई है ताकि आपको अध्ययन में सुविधा रहे। साथ ही इन पर सामग्री व्यवस्थित करते हुए इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो खंड या टॉपिक जितने महत्त्वपूर्ण हैं, उन पर उसी अनुरूप सामग्री भी दी जाए। इसलिये ही आप पाएंगे कि कुछ अध्याय बहुत विस्तृत ढंग से शामिल हैं तो कुछ पर अत्यंत संक्षिप्त टिप्पणी की गई। पुस्तक को सर्वाधिक फलदायी बनाने के उद्देश्य से इन खंडों से बीते वर्षों के दौरान पूछे गए सभी प्रश्नों का विश्लेषण किया गया और फिर इसी के अनुकूल पाठ्य सामग्री की दशा-दिशा भी तय की गई। साथ ही उन खंडों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनसे आगामी वर्षों में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बलवती है। कंटेंट की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो, इसके लिये इस विषय से संबंधित सभी मानक पुस्तकों को आधार बनाया गया और फिर उनसे परीक्षोपयोगी तत्त्वों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। तथ्यों की प्रामाणिकता के लिये ज़्यादातर आधिकारिक वेबसाइट्स और सरकारी दस्तावेज़ों को आधार बनाया गया तथा करेंट अफेयर्स की घटनाओं से अपडेट करने के लिये प्रतिष्ठित अखबारों व पत्रिकाओं का सहारा भी लिया गया है। एक-एक तथ्य को कई बार जाँचा गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा न हो। जहाँ तथ्यों को दर्शाने के लिये बॉक्स या फ्लोचार्ट की आवश्यकता थी वहाँ ऐसा किया गया है तथा शेष हिस्सों में पुस्तक अपनी स्वाभाविक प्रवाह के साथ है। इसके अतिरिक्त अभ्यास के लिये पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और अंत में इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को भी उद्घाटित करना ज़रूरी होगा कि यह पुस्तक 200 से भी कम पृष्ठों की है, अर्थात् आप आसानी से अपने पाठ को दुहरा सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि अगर आप इसका ठीक से अध्ययन करते हैं तो इससे आपकी सफलता की संभावना प्रबल हो जाती है।

अब पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपसे निवेदन है कि पुस्तक पढ़कर हमें ज़रूर बताएँ कि हमारी कोशिश कितनी सार्थक रही? अगर आपको इस पुस्तक में कोई भी कमी दिखे या आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो कृपया अपनी बात बेझिझक **8130392355** नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज दें। आपकी टिप्पणियों से हम पुस्तक के आगामी संस्करण को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-I : आंतरिक सुरक्षा

1. भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान..... 1-33

- आंतरिक सुरक्षा
- आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सृजित करने में बाह्य राज्य और राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका
  - बाह्य राज्यों की भूमिका
  - राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका
- भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख समस्याएँ
- आतंकवाद
  - आतंकवाद का वर्गीकरण
  - आतंकवाद के प्रकार
  - आतंकवाद के साधन
  - आतंकवाद के प्रसार के कारण
  - आतंकवाद की नई उभरती वैश्विक प्रवृत्तियाँ
  - भारत में आतंकी हमले
  - आतंकवाद से निपटने की रणनीति
  - आतंकवाद से निपटने हेतु सरकार के प्रयास
  - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
    - आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 और 1987
    - आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002
    - विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
    - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019
    - 11-सूत्रीय आतंकवाद-रोधी एक्शन एजेंडा
    - वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिये भारत का 5-पॉइंट फॉर्मूला
    - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय
    - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019
  - जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद
    - भूमि उपरि कार्यकर्त्ता/ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओ.जी.डब्ल्यू.)
    - भूमि उपरि कार्यकत्ताओं को निष्प्रभावी करने के उपाय
    - पुलवामा आतंकी हमला
    - जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने हेतु भारत के प्रयास
    - भारत की रणनीति में बदलाव
    - विशेष उद्योग की पहल (एसआईआई जे एंड के) 'उड़ान'
    - जम्मू एवं कश्मीर के लिये प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015
    - कश्मीरी प्रवासियों को राहत और उनका पुनर्वास
    - सीमापार से गोलीबारी/युद्ध-विराम उल्लंघन से प्रभावित सीमावर्ती आबादी के लिये सहायता मुआवज़ा
    - जम्मू एवं कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार
    - भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम
    - जम्मू-कश्मीर के लिये प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना(पीएमआरपी)-2004
    - कश्मीरी प्रवासियों के लिये राहत और पुनर्वास
    - 'जम्मू-कश्मीर की अद्यतन स्थिति' पर मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन
    - जम्मू-कश्मीर में एनएसजी कमांडो की तैनाती
    - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख
    - करतारपुर साहिब कॉरिडोर
  - पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद
    - असम में अलगाववाद
    - मिज़ोरम में अलगाववाद
    - मणिपुर में अलगाववाद
    - नगालैंड में अलगाववाद
    - मेघालय तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद
  - पूर्वोत्तर राज्यों में शांति प्रक्रिया की स्थिति
    - असम
    - मणिपुर
    - नगालैंड
  - स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम
  - पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ
    - पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी योजना
    - सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति
    - पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक एक्शन कार्यक्रम
    - विज्ञापन एवं प्रचार
  - पूर्वोत्तर के लिये सरकार की पहलें
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र दृष्टिकोण-2020
    - पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
    - पूर्वोत्तर ज़िलों के लिये 'आकांक्षापूर्ण ज़िलों का रूपांतरण' कार्यक्रम
    - पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना
- भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की अन्य चुनौतियाँ
  - सांप्रदायिकता एवं भारत की आंतरिक सुरक्षा पर इसका प्रभाव
  - भारत में सांप्रदायिकता
    - भारत में सांप्रदायिकता के कारण
    - भारत में सांप्रदायिकता से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
  - सांप्रदायिकता का भारत पर प्रभाव
    - आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव
    - आर्थिक प्रभाव
    - सामाजिक प्रभाव
    - राजनीतिक प्रभाव
  - समस्या समाधान के प्रयास
  - सुझाव
- भीड़ द्वारा हत्या
  - भीड़-हत्या के कारण
  - महत्त्वपूर्ण उदाहरण
  - भीड़ द्वारा हत्या और व्यक्ति के जीवन का अधिकार
  - सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश
  - संबंधित कानूनी प्रावधान
  - सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों को रोकने हेतु उठाए गए कदम
  - सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग को रोकने हेतु उठाए गए अन्य कदम
- अवैध शरणार्थी
  - अवैध पलायन के कारण
    - बांग्लादेशी अवैध शरणार्थी
    - म्याँमार के रोहिंग्या शरणार्थी
  - भारत में शरणार्थियों से संबंधित प्रावधान
  - अवैध शरणार्थियों के निर्धारण की शक्ति
  - शरणार्थी संकट के प्रभाव एवं समस्याएँ
    - आर्थिक प्रभाव
    - सामाजिक प्रभाव
    - राजनीतिक प्रभाव
    - आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव
  - असम में शरणार्थी समस्या से निपटने का प्रयास
    - चुनौतियाँ
  - शरणार्थी संकट से निपटने हेतु सुझाव
- आंतरिक सुरक्षा योजना
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958
  - वर्तमान परिदृश्य

2. संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध 34-46

- संगठित अपराध
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध
- संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध
  - उद्देश्य एवं अभिसरण
    - अभिसरण
- आतंकवाद और संगठित अपराध में अंतर
- भारत में संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध
  - कश्मीर
  - पूर्वोत्तर भारत
- विभिन्न अवैध गतिविधियों तथा आतंकवाद में संबंध
  - मादक पदार्थों की तस्करी एवं नारको आतंकवाद
  - भारत, अवैध दवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र
  - भारत-बांग्लादेश सीमा पर मानव तस्करी
  - वन्यजीव तस्करी के माध्यम से संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध
  - मनी लॉण्डरिंग के माध्यम से संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध
  - बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपराध व आतंकवाद के मध्य संबंध
  - साइबर अपराध व आतंकवाद के मध्य संबंध
  - भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति
  - मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा किये गए प्रयास
    - व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
    - एंटी-नारकोटिक्स योजना
  - संगठित अपराधों एवं आतंकवाद की जाँच हेतु विशेष एजेंसी
    - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
    - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
    - प्रवर्तन निदेशालय
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट: इंटरनेट का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों के लिये
- ब्रिक्स मादक द्रव्य रोधी कार्य समूह
- संगठित अपराध एवं आतंकवाद की संयुक्त चुनौती से निपटने हेतु कुछ सुझाव

3. वामपंथी उग्रवाद : विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध 47-62

- वामपंथी उग्रवाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि
- भारत में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) : उत्पत्ति और विकास
- भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के विभिन्न चरण
  - प्रथम चरण: नक्सलबाड़ी चरण
  - द्वितीय चरण: चारू मजूमदार के बाद का चरण (1970 के पूर्वार्ध से 2004 तक)
  - तृतीय चरण: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) का उदय (वर्ष 2004 से वर्तमान तक)
    - लाल गलियारा क्षेत्र में कमी
- वामपंथी उग्रवाद के कारण
- भारत के पूर्वी भागों में वामपंथी उग्रवाद
- विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध
- नक्सलवाद का लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति
- शहरी नक्सलवाद
  - शहरों में नक्सलियों की मौजूदगी के कारण
  - सुझाव
- भारत सरकार का दृष्टिकोण
  - समीक्षा एवं निगरानी तंत्र
  - राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, 2015
  - उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियों के आकलन हेतु योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (2008)
- वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम
  - वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्र सरकार द्वारा किये गए विशेष उपाय
    - सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध
    - आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना
    - बेहतर अंतर-राज्य समन्वय
    - तात्कालिक विस्फोट उपकरण (IED) की समस्या का सामना करना
    - इंडिया रिज़र्व (IR) एवं विशिष्ट इंडिया रिज़र्व (SIR) बटालियनें
    - एकीकृत कमांड
    - सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना
    - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिये विशेष अवसंरचना स्कीम
    - सिविल एक्शन प्रोग्राम
    - रोशनी योजना
    - ग्रेहाउंड फोर्स
    - कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन अथवा कोबरा बटालियन
    - ऑपरेशन प्रहार
    - एकीकृत कार्रवाई योजना
    - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क आवश्यकता योजना-I
    - जी.आई.एस. मैपिंग
    - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RRP-II)
  - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (PESA) अधिनियम, 1996
  - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन सामान्य अनुमोदन
  - समाधान सिद्धांत
    - कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ
    - वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में बिजली रहित गाँवों का विद्युतीकरण
  - वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु नए प्रयास
- वामपंथी उग्रवाद की समाप्ति हेतु सुझाव

4. साइबर सुरक्षा एवं संबंधित मुद्दे 63-82

- संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ
  - साइबर खतरे
  - साइबर अपराध/साइबर हमले
    - साइबर हमलों में प्रयुक्त होने वाले महत्त्वपूर्ण शब्द
    - भारत और साइबर हमले
    - साइबर हमलों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले भारतीय संस्थान
    - भारत समेत 100 देशों में साइबर हमला
  - साइबर जासूसी
  - साइबर युद्ध
    - पारंपारिक युद्ध की तुलना में साइबर युद्ध की विशेषताएँ
  - साइबर आतंकवाद
    - स्नोडेन के खुलासे
    - प्रभाव
- संचार नेटवर्कों का दुरुपयोग
- साइबर स्पेस का महत्त्व
- साइबर स्पेस की रक्षा करने में चुनौतियाँ
- भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता
  - साइबर सुरक्षा
  - क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
  - साइबर सुरक्षा के उद्देश्य
- भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
  - सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008
  - महत्त्वपूर्ण धाराएँ

- कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान पहुँचाने के लिये शास्ति एवं प्रतिकर, धारा-43
- न्यायनिर्णयन करने की शक्ति, धारा-46
- साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन, धारा-48
- साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियाँ, धारा-58
- कंप्यूटरों में उपलब्ध रिकॉर्ड से छेड़छाड़, धारा-65
- कंप्यूटर संबंधित अपराध, धारा-66
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या पारेषण, धारा-67
- सूचनाओं के संरक्षण हेतु शीर्ष निकाय की घोषणा, धारा-70
- धारा-77
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

○ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
○ साइबर सुरक्षित भारत पहल
○ सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (ISEA) परियोजना
○ राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018

■ भारतीय साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसियाँ
○ आईएसटीएफ की स्थापना
○ आई.एस.टी.एफ. की सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम
○ सर्ट-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया)
○ CERT-Fin
○ राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र-एनसीआईआईपीसी
○ आरबीआई का साइबर सुरक्षा सेल
○ 'एनआईसी-सीईआरटी'
○ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-एनआईसी
○ साइबर स्वच्छता केंद्र
○ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
- आई 4 सी योजना के घटक

■ अन्य महत्त्वपूर्ण एजेंसियाँ
○ साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग
○ सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, 2013-14

■ साइबरडोम परियोजना
■ साइबर सुरक्षा से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
○ वैश्विक रणनीति की आवश्यकता
○ अवांछित साइबर गतिविधियों पर रोक हेतु बुडापेस्ट सम्मेलन
○ पेरिस कॉल
○ साइबर सिक्योरिटी टेक एकॉर्ड
○ ग्राउंड ज़ीरो शिखर सम्मेलन
○ ICANN

■ भारत द्वारा साइबर सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयास

5. आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका 83-94

■ मीडिया
■ भारत में मीडिया की सकारात्मक भूमिका
■ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया की नकारात्मक भूमिका
■ भारत में मीडिया विनियमन
○ भारत रक्षा अधिनियम, 1962
○ नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968
○ केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2000

■ मीडिया के विनियमन हेतु कुछ प्रमुख एजेंसियाँ
○ भारतीय प्रेस परिषद
○ समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण
○ प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद
○ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सतर्कता तंत्र
○ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र
○ मीडिया के स्वनियमन के सिद्धांत
- मीडिया स्वनियमन के लाभ
- मीडिया के विनियमन संबंधी मुद्दे

■ सोशल मीडिया
■ सोशल मीडिया तथा पारंपरिक मीडिया में अंतर
■ सोशल नेटवर्किंग
○ सोशल मीडिया की विशेषताएँ

■ आंतरिक सुरक्षा के लिये ख़तरे के रूप में सोशल मीडिया
○ आतंकवाद
○ विरोध प्रदर्शन और क्रांति
○ आपराधिकता
○ हेट स्पीच
○ फेक न्यूज़
○ डाटा की निगरानी
○ डाटा दुरुपयोग

■ सोशल मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन
○ सोशल मीडिया के नियमन के लिये सरकार के प्रयास
○ निगरानी ढाँचा संबंधी कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
○ सरकारी संगठनों के लिये सोशल मीडिया के प्रयोग हेतु रूपरेखा एवं दिशा-निर्देश
- सोशल मीडिया और विधि प्रवर्तन से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों पर भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट

○ राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति

6. धन शोधन एवं इसकी रोकथाम 95-107

■ धन शोधन
○ धन शोधन के कारण
○ धन शोधन की प्रक्रिया
○ धन शोधन की प्रचलित विधियाँ

■ हवाला और धन शोधन
■ धन शोधन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
■ भारत में धन शोधन
■ धन शोधन की रोकथाम के लिये भारत के प्रयास
○ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
○ केवाईसी (KYC) मानक
○ धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012
○ विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019
○ धन शोधन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी

■ धन शोधन की रोकथाम हेतु की गई अन्य पहलें
■ काला धन
■ काले धन की समस्या पर रोक लगाने हेतु सरकार के प्रयास
○ बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988
○ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
○ काले धन पर श्वेत पत्र
○ विमुद्रीकरण
○ बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018
○ आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

■ धन शोधन की चुनौती से निपटने हेतु महत्त्वपूर्ण एजेंसियाँ
○ केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
○ भारत की वित्तीय आसूचना एकक का प्रोजेक्ट फिन-नेट
○ प्रवर्तन निदेशालय

- धन शोधन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन
  - धन शोधन तथा एग्मोंट समूह
  - धन शोधन पर एशिया-प्रशांत समूह
  - मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
  - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
- धन शोधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध विभिन्न सम्मेलनों की भूमिका
  - वियना अभिसमय, 1988
  - स्ट्रासबर्ग अभिसमय, 1990
  - ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉण्डरिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड दि फिनांसिंग ऑफ टेररिज़्म
  - इंटरनेशनल मनी लॉण्डरिंग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (IMOLIN)
  - कैरेबियाई वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (CFATF)
  - बैंकिंग निगरानी पर बेसल समिति द्वारा धन शोधन से जुड़े ख़तरों के दृढ़ प्रबंधन पर रिपोर्ट
- धन शोधन की रोकथाम में चुनौतियाँ

7. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन 108-130

- सीमा प्रबंधन के उद्देश्य
- सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ
- सीमा प्रबंधन की तकनीकें
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की समस्याएँ एवं प्रबंधन
  - भारत-पाकिस्तान सीमा
  - भारत-चीन सीमा
  - भारत-बांग्लादेश सीमा
    - बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारत में अवैध घुसपैठ एवं आप्रवास की समस्या से निपटने के प्रयास
  - भारत-नेपाल सीमा
  - भारत-भूटान सीमा
  - भारत-म्यांमार सीमा
- उग्रवादियों को स्थानीय समर्थन
  - स्थानीय समर्थनों में निहित कारण
  - स्थानीय समर्थन को रोकने के उपाय
- तटीय सुरक्षा
  - वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली
  - तटीय सुरक्षा योजना (CSS)
  - तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहलें
  - समुद्री सुरक्षा, खतरे और उनका प्रबंधन
  - समुद्री डकैती/सशस्त्र डकैती
  - समुद्री आतंकवाद
  - तस्करी एवं गैर-कानूनी व्यापार
  - समुद्री सीमा से परे मछुआरों का रास्ता भटकना
  - हिंद महासागरीय क्षेत्र एवं भारत की चुनौतियाँ
    - भारत के लिये हिंद महासागर का महत्त्व
    - चुनौतियाँ
    - हिंद महासागर की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम
    - महत्त्वपूर्ण सुझाव
  - समुद्री डकैती को रोकने के उपाय
    - सीजीपीसीएस (कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन पाइरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया-CGPCS)
    - समुद्री सुरक्षा पर समझौता
    - सी-विजिल 2019
    - द्वीप समूहों का एकीकरण
- भारतीय आकाशीय सीमा
  - भारत के आकाशीय क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियाँ
  - वायु रक्षा पहचान ज़ोन (एडीआईज़ेड)
  - वायु सेना की स्थिति बेहतर करने हेतु सुझाव
- सीमा प्रबंधन के लिये अन्य प्रमुख सरकारी प्रयास
  - एकीकृत जाँच चौकियों (आईसीपी) की स्थापना
  - अतिरिक्त आईसीपी का विकास
  - भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण का गठन
  - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
    - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश
  - इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड
- सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
- सीमा और नक्सल प्रबंधन सुरक्षा प्रौद्योगिकी समिट, 2014
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

8. विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश..... 131-146

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
  - सशस्त्र सीमा बल
  - केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल
  - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
  - सीमा सुरक्षा बल
  - भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
  - राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
  - असम राइफल्स
  - अन्य सुरक्षा बल
    - विशेष सुरक्षा दल
    - रेलवे सुरक्षा बल
    - भारतीय तटरक्षक
    - राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
    - स्वाट टीम
- पी. चिदंबरम समिति
  - सुझाव
- केंद्रीय आसूचना एवं जाँच एजेंसियाँ
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
    - भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का ढाँचा
    - वर्तमान सुधार
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
  - आसूचना ब्यूरो
  - अनुसंधान और विश्लेषण विंग
  - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
  - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
  - राजस्व आसूचना निदेशालय
  - राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड
  - मल्टी एजेंसी सेंटर
  - राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र
- सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े मुद्दे
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
    - सीबीआई और राज्य
    - राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार
    - सीबीआई में सुधार
  - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
    - मुद्दों के निराकरण के उपाय
- सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी चुनौतियाँ
  - चुनौतियों से निपटने के उपाय
- पुलिस सुधार
  - भारतीय पुलिस: एक परिचय
  - पुलिस सुधारों की आवश्यकता
  - अब तक किये गए पुलिस सुधार
  - अन्य संभावित पुलिस सुधार

खंड-II : आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन 147-168

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिदृश्य
- आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति-2009
  - आपदा प्रबंधन
    - दृष्टिकोण
    - उद्देश्य
- संस्थागत और विधिक प्रबंध
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
  - विशेषताएँ
    - आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढाँचा
    - मौजूदा संस्थागत प्रबंध
    - अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थागत प्रबंध
- वित्तीय प्रबंध
  - राष्ट्रीय आपदा मोचन तथा शमन निधियाँ
  - राज्य तथा ज़िला स्तरीय प्रबंध
- आपदा निवारण, शमन तथा तैयारी
  - आपदा निवारण तथा शमन
    - जोखिम मूल्यांकन तथा सुभेद्यता का मानचित्रण
  - शहरी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति
  - पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास
  - जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन
  - तैयारी
    - संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता
    - आकस्मिक प्रचालन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण
    - चिकित्सकीय तैयारी तथा व्यापक हताहत प्रबंधन
    - प्रशिक्षण, अनुकरण एवं मॉक ड्रिल
  - शमन एवं तैयारी हेतु साझेदारी
    - समुदाय आधारित आपदा तैयारी
    - आपदा से प्रभावित सर्वाधिक दुर्बल वर्ग
    - रक्षा के उपाय
    - आपदा प्रबंधन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
    - मीडिया भागीदारी
  - प्रौद्योगिकीय-विधिक व्यवस्था
  - भूमि उपयोग नियोजन
  - सुरक्षित निर्माण रीतियाँ
  - अनुपालन व्यवस्था
- प्रतिक्रिया
  - राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की भूमिका
  - राज्य, ज़िला एवं स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका
  - मानक प्रचालन पद्धतियाँ
  - आपदाओं के स्तर
  - घटना नियंत्रण प्रणाली
  - प्रथम तथा अन्य मुख्य प्रतिक्रियाकर्त्ता
  - चिकित्सा कार्रवाई
  - पशु देखभाल
  - सूचना तथा मीडिया भागीदारी
  - अस्थायी राहत शिविरों की स्थापना
  - राहत एवं आपूर्ति का प्रबंधन
    - राहत एवं पुनर्वास
  - अस्थायी आजीविका विकल्प तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास
  - मध्यम आश्रय-गृहों की व्यवस्था
- पुनर्निर्माण और रिकवरी
  - स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण
  - त्वरित पुनर्निर्माण
  - सुरक्षित विकास को रिकवरी के साथ जोड़ना
  - आजीविका को पुनर्बहाल करना
- क्षमता निर्माण
  - राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ
  - संस्थागत क्षमता निर्माण
  - समुदायों का प्रशिक्षण
  - पेशेवर तकनीकी शिक्षा
  - स्कूलों में आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा
  - आपदा प्रबंधन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग
- संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
  - NDMP के उद्देश्य
  - NDMP की विशेषताएँ
- आपदा जोखिम में कमी के लिये प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा
- आपदा प्रबंधन परियोजनाएँ/क्रियाकलाप
  - राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)
  - मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वर की स्थापना और जिओ डाटाबेस का निर्माण
  - भूकंपीय ज़ोन IV और V के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण नगरों और एक ज़िले के लिये भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई)
  - राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)
  - सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
  - भूकंप-रोधी परिवेश के लिये सरलीकृत दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना
  - भूकंप इंजीनियरिंग से संबंधित संसाधन सामग्री का विकास
  - कम-लागत वाले भू-स्खलन निगरानी सॉल्यूशन का विकास और मूल्यांकन
  - राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति
  - देश में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिये बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करना
  - भवन कोड का सृजन, आवधिक समीक्षा एवं अपडेशन/संशोधन
- सेंडाई रूपरेखा
  - प्राथमिकताएँ
  - सीमाएँ
- शहरी बाढ़ : कारण और समाधान
- पर्यटन उद्योग : आपदा संकट
- सूखा प्रबंधन
  - प्रकार
  - कारण
  - प्रभावित क्षेत्र
  - अन्य क्षेत्र
  - समस्याएँ
  - उपाय
- हीट वेव
- नदियों में गाद की समस्या
  - निपटने के उपाय

खंड 1

आंतरिक सुरक्षा

1 भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान
(Internal Security Challenges and Solutions in India)

आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है। यह कानून-व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व अखंडता से संबंधित है। लोगों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार सुरक्षित रखने के लिये भी सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा का होना आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं–

- देश की संप्रभुता की रक्षा करना।
- क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना।
- देश में आंतरिक शांति बनाए रखना।
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना।
- भयमुक्त समाज के साथ संवैधानिक शासन को संरक्षित करना।
- विधि के शासन के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाए रखना।

एक देश की सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा कहलाती है, आंतरिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पुलिस व्यवस्था की होती है। इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। वहीं देश को बाह्य अथवा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना बाह्य सुरक्षा कहलाता है, जिसका उत्तरदायित्व देश की सेना का होता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय तथा बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार देश के लिये गंभीर चुनौतियाँ हैं। भारत में आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियाँ, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता आंतरिक सुरक्षा के लिये बड़े खतरे के रूप में सामने आए हैं।

भारत स्वतंत्रता के बाद से ही आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये संगठित रूप से अव्यवस्था व असंतुलन का माहौल निर्मित किया गया है। इनके द्वारा आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी करने का लक्ष्य यह सिद्ध करना होता है कि देश की कानून-व्यवस्था कमज़ोर है तथा इसे चुनौती देने वाले इसकी पहुँच से बाहर हैं। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा की चुनौती विधि के शासन के समक्ष भी एक चुनौती के रूप में उपस्थित है।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ काफी हद तक राष्ट्र की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस का विषय बनता है। उद्योग व विदेशी निवेशकों का इन स्थितियों के आधार पर राष्ट्र के बारे में दृष्टिकोण निर्मित होता है जिससे विदेशी निवेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करती है, जैसे- गुजरात और ओडिशा के कंधमाल में हुए दंगों ने विदेशों में भारत की छवि काफी धूमिल की। मादक पदार्थों की तस्करी, मानव दुर्व्यापार, मानव अंगों की तस्करी व खरीद-फरोख्त मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसी स्थितियाँ देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ भारत की संप्रभुता के समक्ष भी चुनौती हैं।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सृजित करने में बाह्य राज्य और राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका (Role of External States and Non-State Actors in Creating Challenges to Internal Security)

बाह्य राज्यों की भूमिका *(Role of External States)*

सामान्य तौर पर बाह्य राज्यों (देशों) को देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा माना जाता है जो युद्ध या पारस्परिक अविश्वास के रूप में भी अभिव्यक्त होता है। इसके लिये देश अपनी-अपनी सीमाओं को अधिक मज़बूत और अपनी सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बाह्य राज्यों द्वारा किसी राज्य की आंतरिक सुरक्षा को अन्य माध्यमों, जैसे- सीमापार प्रायोजित आतंकवाद, हवाला, नकली नोटों के प्रसार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ द्वारा भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। सूचना क्रांति के इस दौर में किसी देश की विशिष्ट संस्थाओं की गोपनीय एवं सुरक्षित सूचनाओं तक कंप्यूटर हैकर द्वारा पहुँच बनाकर नुकसान पहुँचाना भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान द्वारा जहाँ सीमापार आतंकवाद, नकली नोटों के प्रसार, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्या भारत के विरुद्ध उत्पन्न की जा रही है वहीं नेपाल-भारत की खुली सीमा का लाभ उठाकर चीन एवं पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा भारत में नक्सलवादी, उग्रवादी वामपंथी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका *(Role of Non-state Actors)*

परंपरागत तौर पर किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को विनियमित, निर्देशित एवं नियंत्रित करने में राज्य एवं उससे संबंधित अभिकरणों की भूमिका केंद्रीय होती थी, परंतु वैश्वीकरण के बढ़ते दबाव के कारण किसी राज्य में राज्येतर कर्त्ता अथवा अभिकर्त्ताओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। ये कर्त्ता हमेशा राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य नहीं करते। उनका झुकाव अपने समूह, निगम, सामुदायिक हितों की तरफ होता है। ये राज्य की संप्रभुता पर आंतरिक सुरक्षा के कुछ मसलों, जैसे- मानवाधिकार और पर्यावरण आदि के कारणों का सहारा लेकर दबाव बनाते हैं। अनेक राज्येतर अभिकर्त्ता सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जैसे- गैर-सरकारी संगठन (NGO); तो कुछ इस संदर्भ में चुनौतियाँ एवं खतरे उत्पन्न करते हैं। इन राज्येतर अभिकर्त्ताओं में कुछ का प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। इन राज्येतर कर्त्ताओं में प्रमुख हैं-

- एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीनपीस जैसे गैर-सरकारी संगठन।

2 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध
(Linkages between Organised Crime and Terrorism)

संगठित अपराध (Organised Crime)

संगठित अपराध वे घटनाएँ हैं जिनमें अपराधी तत्त्व अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर एक केंद्रीयकृत मशीनरी के रूप में करते हैं। अत: इसके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के फायदे के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठित दल द्वारा कुछ समय के लिये एकजुट होकर किसी गंभीर अपराध को अंजाम दिया जाता है। संगठित अपराध से मानव सुरक्षा तथा शांति को अधिक खतरा होता है, ये पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति व नागरिक विकास को प्रभावित करते हैं। संगठित अपराध की बुनियाद वास्तव में भय तथा भ्रष्टाचार पर टिकी होती है और यह एक कॉर्पोरेट समूह की तरह कार्य करता है। संगठित अपराध की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा संगठित अपराधी समूह को परिभाषित किया गया है।

'पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त सम्मेलन' द्वारा संगठित अपराधी समूह को, "किसी वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन द्वारा स्थापित एक या अधिक गंभीर अपराध को अंजाम देने हेतु, समय की एक अवधि के लिये सामंजस्य में कार्य करने वाले, तीन या अधिक व्यक्तियों के समूह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

परंपरागत संगठित अपराध: परंपरागत संगठित अपराध के अंतर्गत अवैध शराब का धंधा, जुआ, अपहरण, जबरन वसूली वेश्यावृत्ति, डांस बार का, डकैती, लूटपाट, ब्लैकमेल करना, सुपारी लेकर हत्या, अश्लील फिल्मों का व्यवसाय, खनन माफिया, रेत माफिया इत्यादि को शामिल किया जाता है।

गैर-परंपरागत संगठित अपराध: गैर-परंपरागत संगठित अपराध के अंतर्गत मनी लॉण्डरिंग, अर्थव्यवस्था में जाली नोट का वितरण, साइबर अपराध, हैकिंग, हवाला हस्तांतरण, मानव तथा वन्यजीवों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि को शामिल किया जाता है।

वर्तमान समय में संगठित अपराध के निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं–

- मादक पदार्थ की तस्करी
- मानव एवं हथियारों की तस्करी
- स्वर्ण तस्करी
- जाली मुद्रा का वितरण
- अनुबंधित हत्या
- अपहरण एवं जबरन वसूली
- साइबर अपराध
- मनी लॉण्डरिंग तथा हवाला करोबार
- समुद्री डकैती
- अवैध व्यापार

संगठित अपराधियों द्वारा अपराध को अंजाम देने हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते है–

- **मादक पदार्थों की तस्करी:** इसमें मादक पदार्थों की तस्करी करके अवैध तरीके से धन कमाया जाता है और फिर इसे मनी लॉण्डरिंग के ज़रिये वैध बनाया जाता है।
- **मानव तस्करी:** इसमें वेश्यावृत्ति के लिये औरतों की तस्करी तथा अन्य मानव तस्करी शामिल किया जाता है। इसकी प्रकृति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की होती है।
- **हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों का अवैध व्यापार:** इसमें संगठित तरीके से हथियारों तथा विस्फोटक सामग्री की तस्करी की जाती है तथा धन कमाया जाता है।
- **जाली मुद्रा:** इसके तहत किसी देश की जाली मुद्रा छपवाकर उसे वैध बनाने की कोशिश की जाती है तथा बहुत से कार्य जाली मुद्रा चलाकर करवा लिये जाते हैं।

3 वामपंथी उग्रवाद : विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध (Left Wing Extremism : Linkages between Development and Spread of Extremism)

भूमिका (Introduction)

विकास को एक बहुपक्षीय विषय के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, समाज में महिलाओं की स्थिति, पोषण तथा आवास की उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुँच आदि को शामिल किया जा सकता है।

भारत के अनेक राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में असमानताएँ हैं। विभिन्न राज्यों में गरीबी, भुखमरी, आवास संबंधी समस्याएँ व्याप्त हैं। इसके साथ ही बेकारी अथवा बेरोज़गारी भी प्रमुख समस्या है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मांग एवं आपूर्ति में अंतर ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है।

विकास के लाभों का असमान वितरण वंचना के एक ऐसे सापेक्षिक भाव को जन्म देता है जो वंचित एवं बहिष्कृत वर्गों में व्यवस्था की विश्वसनीयता को धूमिल कर देता है। सामान्यत: कोई भी व्यक्ति या समुदाय किसी व्यवस्था से अपनापन तभी महसूस करता है जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं, उसके मौलिक अधिकार, उसकी सभ्यता व संस्कृति के प्रति सरकार संवेदनशील है। सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति शासन की संवेदनशीलता इसकी कसौटी है।

1990 के दशक में नई आर्थिक नीति को अपनाए जाने के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन व्यवस्था में विभिन्न स्तर पर बिचौलियों की उपस्थिति, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति तथा आधारभूत स्तर (ग्राम स्तर) पर विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में आम जनता के शोषण के कई साधनों (जैसे साहूकारी प्रथा आदि) के विद्यमान होने से लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विकास समावेशी नहीं रहा है। अत: बेरोज़गारी एवं असमान विकास से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन से अलगाववाद के पक्षधर लोगों को बढ़ावा मिला है और यह उग्रवाद के रूप में सामने आया है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे व्यक्ति या समूह जो लोकतंत्र की जगह एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को महत्त्व न देते हुए हिंसक गतिविधियों का उपयोग कर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उग्रवादी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी इस विचारधारा को ही उग्रवाद कहा जाता है।

वामपंथी उग्रवाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि (Theoretical Background of Left Wing Extremism)

वापमंथी विचारधारा को सामान्य तौर पर साम्यवाद/मार्क्सवाद भी कहा जाता है। वामपंथी विचारधाराओं की यह मान्यता रही है कि पूंजीवादी बुर्जुआ समाज में सभी विद्यमान सामाजिक संबंध और राज्य की संरचना स्वाभाविक रूप से बुर्जुआ वर्ग का समर्थन कर शोषण को बढ़ावा देते हैं और इस शोषण को समाप्त करने के लिये हिंसात्मक तरीकों से क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। मार्क्सवाद के समर्थक पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु हिंसक वर्ग-संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं।

माओवाद चीन के क्रांतिकारी नेता माओ त्सेतुंग द्वारा साम्यवाद का 'माओवाद' नामक एक रूप विकसित किया गया था। यह सशस्त्र विद्रोह, जन संगठन तथा रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से राज्य की सत्ता को हथियाने का एक सिद्धांत है। माओवादी अपने विद्रोह के सिद्धांत के अन्य संघटकों का प्रयोग राज्य संस्थाओं के विरुद्ध दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के प्रसार के लिये करते हैं। इस प्रक्रिया को माओवादी 'लंबा जनयुद्ध' कहते हैं। माओवाद राजनीतिक रूप से शोषक वर्ग और सरकारी संरचना के खिलाफ बहुसंख्यक लोगों के क्रांतिकारी संघर्ष पर ज़ोर देता है। इसके सैन्य योजनाकारों ने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया है जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों को घेरने पर केंद्रित है। इसके साथ ही समाज के निम्न वर्गों के लोगों को हिस्सा बनाकर राजनीतिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। माओवादियों का मुख्य नारा है "राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है।" ये गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते हुए ग्रामीण आबादियों से बड़ी संख्या में समर्थकों को एकत्र करते हैं।

भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) है। CPI (माओवादी) का गठन 21, सितंबर 2004 की दो सबसे बड़े माओवादी गुटों-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार या पीपल्स वार ग्रुप तथा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) के मिलने से हुआ है।

भारतीय सीमा क्षेत्रों में सक्रिय हिंसा पर आधारित राजनीतिक जन आंदोलन से पृथक् नक्सलवादी भारतीय संघ से अलग होकर स्वायत्त राज्य की स्थापना नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के द्वारा राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित करना है।

4 साइबर सुरक्षा एवं संबंधित मुद्दे
(Cyber Security and Related Issues)

भूमिका (Introduction)

संचार तकनीक को किसी देश की अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हाल के वर्षों में बेहतर क्षमता वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों, वायरलेस नेटवर्क तकनीक और इंटरनेट के व्यापक इस्तेमाल ने संचार तंत्र नेटवर्कों को काफी हद तक बदल दिया है। संचार नेटवर्क के उपकरणों में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसमें तार वाले एवं बिना तार वाले दोनों प्रकार के उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपयोगकर्त्ताओं के बीच लगातार संपर्क का दायरा बढ़ते जाने से इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अनुसार, "साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंत: क्रियाओं का एक जटिल परिवेश है जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण में समर्थन मिलता है।"

वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े हमलों और खतरों का जोखिम ज़्यादा है, जिसमें कोई भी दुश्मन देश अथवा आतंकवादी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों और सूचना भंडारों पर हमला कर या इन्हें हैक कर सूचनाएँ चुराने एवं आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकता है। वर्तमान में किसी भी देश की कंप्यूटर आधारित प्रणाली आपस में तथा अन्य तंत्रों से जुड़ी रहती है, जो उपर्युक्त प्रकार के हमलों के लिये अति संवेदनशील है।

संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ (Communication Networks and Challenges to Internal Security)

संचार नेटवर्क को मुख्यत: दो प्रकार का खतरा होता है–

1. **भौतिक खतरा:** भौतिक खतरे में संचार नेटवर्क के तारों को काट देना या विस्फोट से उड़ा देना, मोबाइल टावरों को नष्ट कर देना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हें भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर रोका जा सकता है।
2. **साइबर खतरा:** इसमें नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना या नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना आदि आते हैं। इसके अंतर्गत कई तरह से हानि पहुँचाई जा सकती है, जो इस प्रकार है–
   - देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना।
   - अनधिकृत व्यक्तियों के पास गोपनीय जानकारियाँ पहुँचने का खतरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक होता है।
   - महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों की संचार प्रणाली में उपलब्ध आँकड़ों में परिवर्तन करना या उन्हें हटा देना, जिससे कार्य बाधित हो।
   - गलत पहुँच के कारण संचार नेटवर्क को भौतिक नुकसान पहुँचाकर और लोगों को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचाकर समस्याएँ उत्पन्न करना।

आज सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सभी विभाग और स्थान, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ चुके हैं। इसका फायदा उठाकर असामाजिक तथा अराजक तत्त्व महत्त्वपूर्ण स्थानों पर साइबर हमले कर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। इसी वजह से हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

साइबर खतरे *(Cyber Threats)*

किसी व्यक्ति संचार नेटवर्क के माध्यम से एक ई-मेल को हैक करने से लेकर राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों को साइबर खतरों के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

- व्यक्तियों, कंपनियों इत्यादि के विरुद्ध साइबर जासूसी, साइबर अपराध।
- राज्य के विरुद्ध साइबर युद्ध।
- साइबर आतंकवाद।

साइबर अपराध/साइबर हमले *(Cyber Crime/ Cyber Attacks)*

एक व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस, जैसे- कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी उपकरणों सेलफोन इत्यादि का प्रयोग कर अपराध करना साइबर अपराध या साइबर हमला कहलाता है। साइबर हमला किसी व्यक्ति या पूरे संगठन द्वारा नियोजित की गई किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि है जो लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क या तंत्र को हानि पहुँचाने या नष्ट करने के उद्देश्य से कंप्यूटर सूचना प्रणालियों, अवसंरचनाओं तथा कंप्यूटर नेटवर्क को लक्ष्य बनाती है।

साइबर हमलों को अंजाम देना काफी आसान होता है। इसके लिये बस एक कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई हमलावर कोई

5 आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका (Role of Media and Social Media in Internal Security Challenges)

मीडिया (Media)

संचार के ऐसे माध्यम/साधन जिनका प्रयोग कर बहुत बड़े जनसमुदाय तक विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, समाचारों, संदेशों, मनोरंजनों इत्यादि को संप्रेषित किया जाता है, उन्हें जनसंचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। मीडिया शब्द 'मिडियम' शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है- माध्यम। मीडिया अपने आप में एक व्यापक शब्द है। मास मीडिया का अर्थ वैसे संचार उपकरणों से है, जिनका उपयोग विभिन्न भाषाओं में बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करने और बातचीत करने के लिये किया जाता है। मीडिया अर्थात् जनसंचार माध्यम को व्यापक रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- मुद्रण माध्यम/प्रिंट मीडिया, जैसे- समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, किताबें और ब्रोशर, बिलबोर्ड, पैम्फलेट, पोस्टर, जनरल इत्यादि।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे- रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि।
- नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/आधुनिक मीडिया, जैसे- इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इत्यादि।

वर्तमान समय में मीडिया से किसी-न-किसी रूप में जुड़े रहना आधुनिक मानव की आवश्यकता बनती जा रही है। मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि में से किसी-न-किसी माध्यम से व्यक्ति हर समय जुड़ा रहना चाहता है। इसका समाज और व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। यह सूचना, संचार, शिक्षा, जानकारी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के साथ-साथ जनमानस की सोच में बदलाव लाने का कार्य भी करता है। वर्तमान परिदृश्य में समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के अलावा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी इसमें शामिल हैं। इंटरनेट को मीडिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है।

मीडिया देश का एक सजग प्रहरी है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नज़र रखता है तथा निष्पक्ष भाव रखते हुए इनकी खामियों को उजागर करता है। कई बार मीडिया सत्ता संघर्ष का साधन बन जाता है; तब वह तटस्थ नहीं होता तथा उसकी नैतिकता भी निरपेक्ष नहीं होती, जैसे- वर्तमान समय से फेसबुक को लेकर उठा विवाद, जहाँ इस पर सत्ताधारी पार्टी के हितों को साधने का आरोप लगाया जा रहा है।

भारत में मीडिया की सकारात्मक भूमिका (Positive Role of Media in India)

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिसके माध्यम से जनसमुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। यह भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश हेतु और भी अधिक आवश्यक है जहाँ सभी जनसमुदाय के साथ लोकतांत्रिक सरकार द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करना अत्यंत मुश्किल है। ऐसे में मीडिया जनसमुदाय की आकांक्षाओं, विभिन्न प्रकार की मांगों एवं हितों से शासन-प्रशासन को अवगत करवाने का काम करता है। यह नागरिकों को उत्तरदायी बनाने और उद्देश्यपूर्ण विकल्पों का चुनाव करने, शासन-प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, संघर्ष समाधान के उपाय प्रस्तुत करने तथा विविध प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है। सूचनाओं की उपलब्धता तथा पहुँच ने भारतीय मीडिया को 'वाचडॉग' की भूमिका निभाने की अनुमति दी है, जो शासन-प्रशासन को अपने सभी उत्तरदायित्वों एवं गतिविधियों के निष्पादन हेतु ज़िम्मेदार बनाती है और लोगों के लिये अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। अत: भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

- स्वस्थ एवं सहभागी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रसार करना।
- राजनीतिक दलों, शासन-प्रशासन के कार्यों, सरकार के निर्णयों के संदर्भ में जनमत तैयार करना।
- संवैधानिक प्रावधानों के सम्मान तथा कठोर आत्म-नियमन के साथ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना।
- विभिन्न प्रकार के सुरक्षा खतरों और चुनौतियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ रूप से लोगों को शिक्षित तथा सूचित करना।
- समाज में विद्यमान समस्याओं, को उजागर कर उनकी समाप्ति करने हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार करने के लिये सरकार पर दबाव बनाना।
- जनता की राय को प्रभावित करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, लोगों की ओर उन्मुख विकास नीतियों के निर्माण तथा ऐसी नीतियों को समर्थन प्रदान करना।

6 धन शोधन एवं इसकी रोकथाम
(Money Laundering and its Prevention)

धन शोधन (Money Laundering)

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, "धन शोधन आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अवैध प्राप्तियों को छुपाने की प्रक्रिया है।" धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, "जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध से हुई आय से संबंद्ध किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि एवं उसके निष्कलंक परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में संलिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहयोग करता है या जानबूझकर भागीदारी करता है या वास्तव में संलिप्त होता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।" अर्थात् बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह गैर-कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करता है, धन शोधन वह प्रक्रिया है जिससे ये अपराधी मूल रूप से अवैध तरीके से कमाए धन को वैध बनाते हैं।

धन शोधन (Money laundering) आर्थिक प्रकृति के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार यह अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया है। पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने धन शोधन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में, व्यापार आधारित धन शोधन (TBML) व्यापारिक लेन-देनों के माध्यम से धन को अंतरित करने अथवा स्थान बदली करने की प्रक्रिया है। व्यवहार में, इसे आयातों या निर्यातों के मूल्य, मात्रा या गुणवत्ता के मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया जा सकता है।

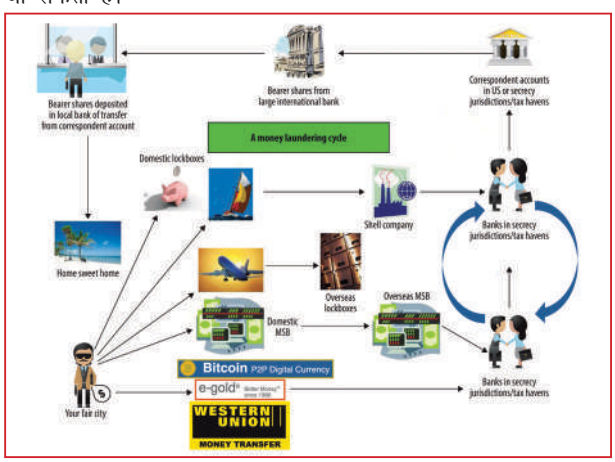

अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त तस्करी और अन्य संगठित अपराध, जिनमें नशीले पदार्थों की बिक्री और बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति भी शामिल है, के माध्यम से काफी मात्रा में धन का सृजन किया जाता है। गबन, शेयरों द्वारा धोखाधड़ी से भी भारी मात्रा में धन का सृजन होता है और धन शोधन से कमाए धन को 'वैध' करने का फर्जीवाड़ा किया जाता है। इस प्रकार सृजित धन को दूषित धन/काला धन कहते हैं। धन शोधन, अपराधों में संलिप्त होकर धन कमाने की प्रक्रिया है, जिसमें दूषित धन/काले धन को वैध बनाने की कोशिश की जाती है।

धन शोधन के कारण
(Causes of Money Laundering)

भ्रष्टाचार, गबन, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिश्वतखोरी तथा साइबर धोखाधड़ी के द्वारा भी बड़ी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया जाता है, ऐसी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन को 'काला धन' या अवैध धन कहा जाता है तथा इसे वैध (शुद्ध) बनाने की आवश्यकता होती है। अपराधियों द्वारा इन्हें वित्तीय संस्थाओं में जमा करने के लिये मार्ग की आवश्यकता होती है परंतु यह तभी संभव हो पाता है जब धन वैध स्रोतों से आया प्रतीत हो। अत: इस धन का शोधन कर वैध स्रोतों से आया बताकर उसे वित्तीय संस्थानों में जमा कराया जाता है तथा ज़ब्त किये जाने या दंडित किये जाने के भय से मुक्त हो इसका उपयोग किया जाता है।

वैसे तो धन शोधन के अनेक तरीके हैं लेकिन वित्तीय संस्थानों के दुरुपयोग, सीमा पर बड़ी मात्रा में नकदी के अवैध लेन-देन और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से इसे प्रमुखता से अंजाम दिया जाता है। धन शोधन के मामले में भारत बहुत संवेदनशील देश समझा जाता है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रैटजी रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसकी औपचारिक सीमाओं से इस धन का आवागमन होता है। भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी, संकटापन्न वन्य-जीवों का अवैध व्यापार, हीरों का अवैध व्यापार, भ्रष्टाचार, आयकर की चोरी आदि मामले में धन शोधन का काम होता है। गोल्डन ट्रायंगल (स्वर्णिम त्रिभुज) तथा गोल्डन क्रीसेंट (स्वर्णिम चाप) के बीच भारत की अवस्थिति के कारण इसका प्रयोग नशीले सामानों की तस्करी में एक मध्यवर्ती देश के रूप में होता है।

धन शोधन की प्रक्रिया
(Process of Money Laundering)

परंपरागत रूप से धन शोधन की प्रक्रिया प्राय: तीन चरणों में पूरी होती है–

1. **नियोजन चरण (Placement Stage):** इस चरण में कुछ माध्यमों से अशुद्ध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रविष्ट कराया जाता है। इस विधि का प्रयोग काले धन को वैध बनाए जाने के संदेह को खत्म

7 सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

भूमिका (Introduction)

दक्षिण एशिया में भारत की अवस्थिति केंद्रीय है। यह दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। इसके अलावा भारत की हिंद महासागर से लगी एक लंबी समुद्री सीमा भी है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार भारत की भू-सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. लंबी है। इस प्रकार एक लंबी सीमा रेखा होने के कारण सीमाओं का प्रबंधन भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण विषय बन जाता है। मज़बूत सीमा प्रबंधन न केवल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि देश के आर्थिक विकास के लिये भी आवश्यक है। सीमाओं का उचित प्रबंधन न केवल सीमापारीय अवैधानिक गतिविधियों, जैसे- मानव तस्करी, मादक द्रव्य, हथियार तथा रेडियोधर्मी पदार्थों की तस्करी को रोकने या कम करने में सहायता करता है, बल्कि व्यापार सुविधा तथा लोगों की वैध आवाजाही को भी सुगम बनाता है। भारत की सीमाएँ सात देशों, यथा–बांग्लादेश (4,096.7 किमी.), चीन (3,488.0 किमी.), पाकिस्तान (3,323.0 किमी.), नेपाल (1,751.0 किमी.), म्यांमार (1,643.0 किमी.), भूटान (699.0 किमी.) तथा अफगानिस्तान (106.0 किमी.) से मिलती हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद का होना तथा कुछ अन्य देशों के साथ खुली सीमाएँ होने के कारण एक प्रभावी एवं कुशल सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसलिये भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन हेतु बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है तथा तद्नुसार उपाय भी किये हैं।

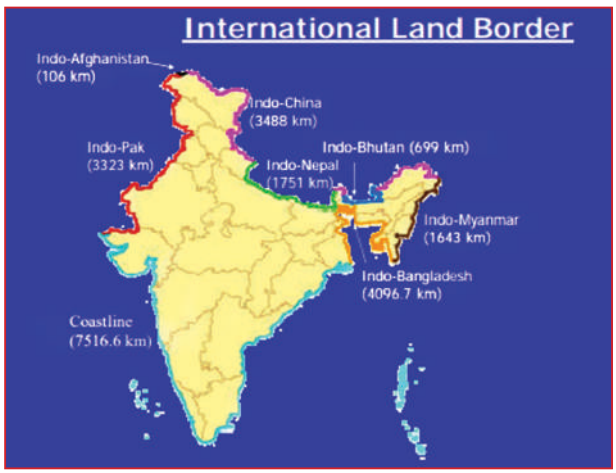

[**नोट:** वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन- (जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख), दो केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में कर दिया गया है।]

सीमा प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of Border Management)

- सीमा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य देश-विरोधी तत्त्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना है, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर (आसान) बनाते हुए राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों को रोकने में सक्षम हो।
- इसके अतिरिक्त इसके अन्य उद्देश्यों में सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करना जैसे-सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज़ रोशनी की व्यवस्था करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जाँच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।
- सीमाओं की भौगोलिक स्थलाकृति तथा संभावित खतरे की प्रभावशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है जिससे देश की सीमाएँ सुरक्षित रहें तथा देश में आंतरिक सुरक्षा के साथ व्यापार-वाणिज्य एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इस संदर्भ में देखा जाए तो सीमाओं पर बलों (Forces) की तैनाती 'एक सीमा, एक सीमा-रक्षक बल' (बीजीएफ) के सिद्धांत को अपनाते हुए की गई है। इसके तहत प्रत्येक सीमा की ज़िम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल को सौंपी गई है-
  - बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएँ: सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
  - चीन सीमा: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
  - नेपाल तथा भूटान सीमाएँ: सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)
  - म्यांमार सीमा: असम राइफल्स
  - इसके अतिरिक्त भारतीय सेना बीएसएफ के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आईटीबीपी के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू-सीमाओं की रक्षा करती है।
  - भारतीय नौसेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिये ज़िम्मेवार है जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तट रक्षक बल को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिये ज़िम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।
- सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण तथा पद्धतियाँ एक सीमा से दूसरी सीमा के लिये अलग-अलग रूप में अपनाई गई हैं, जो सुरक्षा संबंधी धारणाओं (Security perceptions) तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

8 विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश
(Various Security Forces & Agencies and their Mandates)

भूमिका (Introduction)

देश की संप्रभुता की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ-साथ एजेंसियों पर भी है। इनमें सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल, विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियाँ शामिल हैं। ये बल राज्यों के सुरक्षा बलों तथा पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ बलों एवं एजेंसियों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces – CAPFs)

भारत का गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का समर्थन प्रदान कर लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। चूँकि, भारतीय संविधान के तहत पुलिस एवं लोक व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है तथा राज्य सरकार राज्य में शांति स्थापना और लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनका प्रयोग करती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत कुल सात पुलिस बलों को सम्मिलित किया जाता है–

- असम राइफल्स (AR)
- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (NSG)
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)

गृह मंत्रालय के अधीन पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) तथा एक केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल (CPMF) नामत: असम राइफल्स (AR) हैं। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह-रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन सिविल प्रशासन में सहायता हेतु तैनात किया जाता है। जबकि NSG की स्थापना विशेष आतंकवाद-रोधी दस्ते के रूप में की गई थी।

त्वरित कार्रवाई बल (RAF) तथा दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिये कमांडो बटालियन (कोबरा), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के विशिष्ट विंग हैं जो क्रमश: दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), जैसे- हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय रणनीतिक महत्त्व वाले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है।

इनके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (NSG) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण-रोधी अभियानों के लिये प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहारक बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिये स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

सशस्त्र सीमा बल *(Sashastra Seema Bal–SSB)*

वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद 'विशेष सेवा ब्यूरो' का गठन मार्च, 1963 में सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना विकसित करने, सीमा पार अपराध, अनाधिकृत प्रवेश व निकासी तथा गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था।

15 जनवरी, 2001 में गृह मंत्रालय के अधीन यह बल सीमा चौकसी बल के रूप में घोषित किया गया और 15 दिसंबर, 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर चौकसी की ज़िम्मेदारी दी गई है। इसकी तैनाती 1751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा और 699 किमी. लंबी भारत-भूटान सीमा पर की गई है।

यह बल भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की चौकसी के साथ ही आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह-रोधी अभियानों से संबंधित कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करता है। इसके कार्मिकों की तैनाती जम्मू एवं कश्मीर के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में भी की गई है।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल *(Cenral Reserve Police Force-CRPF)*

Central Reserve Police Force
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा बल है। यह बल आरंभ में 27 जुलाई, 1939 को

CHAT NOW

दृष्टि The Vision

1800-121-6260 011-47532596 Login Register

एन.सी.ई.आर.टी. टेस्ट | कक्षा कार्यक्रम | डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम
टेस्ट सीरीज़ | करेंट अफेयर्स | दृष्टि मीडिया

तैयारी का वह हिस्सा जो किताबों से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिये हम आपको आमंत्रित करते हैं

अपनी लोकप्रिय वेबसाइट पर

www.drishtiias.com/hindi

तैयारी की रणनीति	मेंस प्रैक्टिस प्रश्न	पी.सी.एस. परीक्षा की तैयारी
डेली न्यूज़ और एडिटोरियल (अंग्रेज़ी के प्रमुख समाचार पत्रों से)	राज्यसभा/लोकसभा टी.वी. डिबेट	पी.आर.एस. कैप्सूल्स
माइंड मैप	60 Steps to Prelims	टू द पॉइंट
फोरम	एन.सी.ई.आर.टी. टेस्ट	महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स की जिस्ट
डेली करेंट टेस्ट (योजना, कुरुक्षेत्र सहित अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं के टेस्ट)	ब्लॉग	यू-ट्यूब चैनल

रोज़ाना एक घंटा इस वेबसाइट पर गुज़ारिये और प्रिलिम्स से इंटरव्यू तक की अपनी तैयारी को मज़बूत आधार प्रदान कीजिये।

For any query please contact:
87501 87501, 011-47532596

खंड 2

आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन
(Disaster Management)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिदृश्य
(National Disaster Management Scenario)

भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो अपने अंदर क्षेत्रीय विविधताओं को समेटे हुए है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं द्वारा एक जटिल स्थिति पैदा करती है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग तीन समुद्रों-अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, वहीं उत्तर में यह हिमालय की उच्च पहाड़ियों से जुड़ा है। भारत का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ मौसमी वर्षा होती है। इसकी जलवायु मानसून आधारित है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित देश है जहाँ एक बड़ी ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है।

यह दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रवण देशों में से एक है, जिसमें तूफान, भूकंप, भू-स्खलन, सुनामी, बाढ़ और सूखा जैसी विभिन्न आपदाएँ आती रहती हैं। यदि हम भारत के उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं जिसमें मूल रूप से मध्य हिमालय और उप-हिमालय क्षेत्र जो भूकंप के लिये अधिक प्रवण है क्योंकि यह दो अभिसारी प्लेट सीमाओं के पास स्थित है, जो लगातार एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं।

हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक पर्यटन, भूकंप, अत्यधिक बर्फ जमाव इत्यादि के कारण हिम-स्खलन, भू-स्खलन इत्यादि घटनाएँ घटित होती हैं। दक्षिण भारत के हिंद महासागर से जुड़े होने के कारण इसके तटीय क्षेत्रों में चक्रवात, तूफान, सुनामी इत्यादि की प्रबल संभावनाएँ रहती हैं।

भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी अवस्थिति के कारण एक विशिष्ट विशेषता है। मानसून की अधिकता पर भारतीय नदियों में जल की अधिकता हो जाती है, जिससे बाढ़ जैसी आपदा जन्म लेती है। वहीं जब मानसून कमज़ोर होता है तो भारत में वर्षा कम होने की वजह से नदियों में जल की कमी हो जाती है तथा भारत में सूखे जैसी आपदा का जन्म होता है, जिससे, भारतीय कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है और कृषक आत्महत्या जैसी घटनाएँ होती हैं।

भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण गर्मियों में यहाँ का तापमान अधिक रहता है जिससे यहाँ हीट वेव की स्थिति रहती है, इस कारण भी हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। भारत की भू-आकृतिक बनावट, उच्चावच इत्यादि के कारण भी वृष्टिछाया प्रदेश, रेगिस्तान इत्यादि का निर्माण हुआ है जो कि आपदा प्रवणता को बढ़ावा देते हैं। उपर्युक्त विवरणों से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारत अपनी अवस्थिति के कारण ही आपदाओं के प्रति प्रवण क्षेत्र हो जाता है।

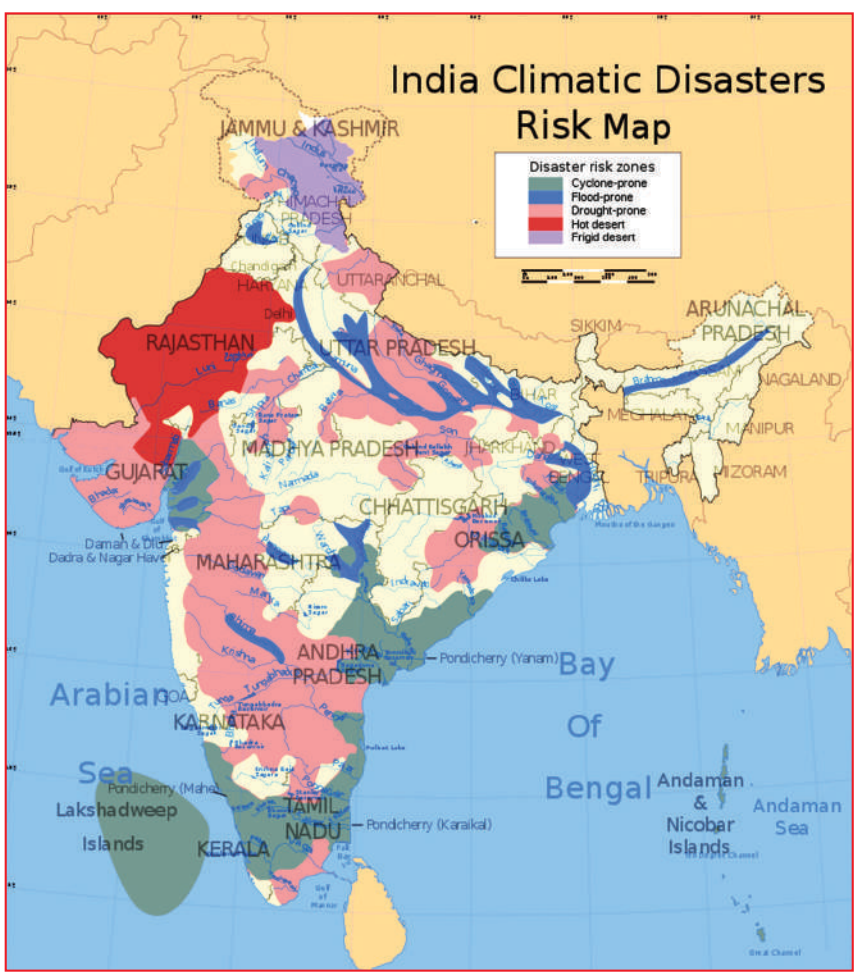

तेज़ी से बदलते वक्त
और डिजिटल होती दुनिया के साथ
हम भी रख रहे हैं कदम,
पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन संसार में

Drishti Learning App

पर आपका स्वागत है

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव, टैबलेट मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।
- दृष्टि की वेबसाइट पर उपलब्ध डेली करेंट अफेयर्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, क्विज़ तथा कई अन्य सुविधाएँ।
- हमारे हिंदी और अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल्स के सभी वीडियो वर्गीकृत रूप में उपलब्ध।
- टॉपर्स की उत्तर-पुस्तिकाएँ, एनसीइआरटी प्रश्नोत्तरी, हज़ारों अभ्यास प्रश्नों की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन, पेनड्राइव, एस.डी. कार्ड एवं टैबलेट मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

Quick Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Phone: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-947225-1-9

मूल्य : ₹ 200